देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/palm/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 15 नवम्बर 2021

आबकारी विभाग का कारनामा!!!

एक ही परिसर मे,
एक तरफ पाठशाला!!!
तो दूसरी तरफ मधुशाला!!!

हेरिटेज होटल की आड़ मे चल रहा नाईट क्लब/डिस्को थेक!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

लगभग 40 सालों से चल रहा है मयूरा स्कूल

नायला हाउस के बायीं तरफ चल रहा मयूरा स्कूल

राजधानी की मुख्य सड़क मोती डूंगरी रोड पर स्थित नायला हाउस के अहाते मे विगत 40 सालों से मयूरा स्कूल का संचालन किया जा रहा है|सन 1982 मे पाँच बच्चो और एक अध्यापक से शुरू हुई इस प्री स्कूल मे आज सैकड़ों बच्चे कक्षा 10वीं तक अपना अध्ययन कार्य करते है|इस स्कूल की स्थापना बच्चो के जरिये समाज मे नैतिकता के उच्च आदर्शों जैसे मानवता,विनम्रता और सदभाव को प्रोत्साहित करने हेतु की गयी थी|उच्च आदर्शों और मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाने वाला यह स्कूल राजधानी के नामचीन और प्रतिष्ठित स्कूलों मे से एक है|

होटल नायला बाग पेलेस हेरिटेज होटल या नाइट क्लब/डिस्को थेक?

इसी अहाते मे विगत कुछ सालों से होटल नायला बाग पेलेस का भी संचालन किया जा रहा है|पर्यटन विभाग और आबकारी विभाग के रेकॉर्ड के अनुसार इसे हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है,परंतु वर्तमान मे यहा पर हेरिटेज होटल की जगह नाइट क्लब/डिस्को थेक का संचालन किया जा रहा है|स्थानीय सूत्रों के अनुसार यहाँ पर रात को पार्टियां शुरू होती है जो कि अल सुबह 4-5 बजे तक चलती रहती है|जानकारी करने पर इस बात की पुष्टि हो गयी कि यहाँ पर पर्यटकों के रुकने के लिए रूम उपलब्ध नहीं है|ऐसे मे सवाल उठता है कि बिना रूम के कैसे इसे हेरिटेज का दर्जा देकर हेरिटेज होटल के नाम पर नाइट क्लब/डिस्को थेक चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है?गौरतलब है कि हेरिटेज के नाम पर होटल बार की अनुज्ञा जारी करने के लिए रियायती दर पर फीस वसूली जाती है|इस तरह हेरिटेज के नाम पर इस नाइट क्लब/डिस्को थेक का संचालन आबकारी अधिकारियों से मिलीभगत की और इशारा करता है|

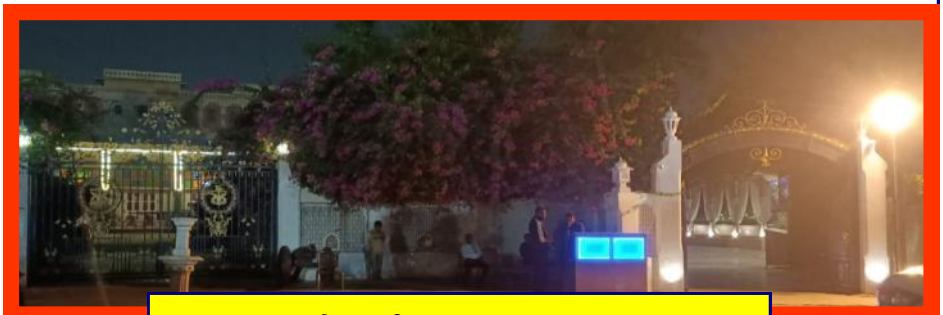

नायला हाउस के दायीं तरफ चल रहा क्लब नायला

कैसे चल सकती है एक ही अहाते मे पाठशाला के साथ मधुशाला?

राजस्थान मे आबकारी विभाग का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वयं के पास है ,माननीय मुख्यमंत्री को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है लेकिन इसी गांधी के राज मे एक ही अहाते मे बच्चों के लिए पाठशाला और महज कुछ कदमों की दूरी पर इसी परिसर मे नाइट क्लब/डिस्को थेक के रूप मे मधुशाला का संचालन किया जा रहा है|सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल और हेरिटेज होटल/डिस्को थेक/नाइट क्लब के संचालक एक ही परिवार के है,जिससे जहां एक तरफ स्कूली छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान नशे से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, वही इस हेरिटेज होटल मे चल रहे डिस्को थेक/नाइट क्लब से इन बच्चो मे गलत संदेश जा रहा है|एक ही अहाते मे चल रहे स्कूल और बार से जहां इनके संचालको की नैतिकता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे है वही जिम्मेदार विभागों जैसे आबकारी,पुलिस,शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे है|

ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग और अन्य जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी नही है लेकिन होटल मालिक के ऊंचे रसूखात के आगे सब बाते गौण हो जाती है|

आबकारी विभाग और अन्य विभागो की गठित कमिटी के सदस्यों को क्यूँ नहीं दिखा यह स्कूल?

आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार पूर्व मे जब किसी होटल/बार/रेस्टोरेन्ट को बार लाइसेन्स दिया जाता था तो जिला कलेक्टर कार्यालय,पुलिस विभाग,पर्यटन विभाग और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों की गठित एक कमिटी मौका निरीक्षण कर निर्णय लेती थी कि उक्त होटल/क्लब को बार लाइसेन्स दिया जाना है अथवा नहीं|हालांकि इस वर्ष इस गठित कमिटी के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है|लेकिन 3-4 वर्ष पूर्व जब इस नायला बाग पेलेस को बार लाइसेन्स दिया गया था तब इस प्रावधान के तहत गठित कमिटी के सदस्यों को इस अहाते मे चल रहा स्कूल क्यूँ नजर नहीं आया?इतना ही नहीं आबकारी नियमों के अनुसार आबकारी ज़ोन के निरीक्षक को हर माह अपने क्षेत्र मे आने वाले बार/होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण करना आवश्यक होता है,सवाल यह उठता है कि विगत 3-4 सालों मे किसी भी आबकारी निरीक्षक की नजर इस स्कूल पर नहीं पड़ी?

नायला हाउस में पुलिस की मिलीभगत से रात भर शराब परोसने का आरोप, रात 12 बजे प्रदर्शन

दैनिक भास्कर से साभार

3 वर्ष पहले

जयपुर। नायला हाऊस में पुलिस की मिलीभगत से रात भर शराब परोसने के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता शनिवार रात 12 बजे जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और नायला हाउस परिसर में पार्टी को बंद कराया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस की मिलीभगत से नायला हाउस परिसर में 24 घंटे शराब परोसी जा रही है, जबकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। शिवसेना हिदुस्तान के सौ से ज्यादा कार्यकर्ता शनिवार रात 12 बजे नायला हाउस के बाहर पहुंचे और विरोध करने लगे। इस दौरान नायला हाउस के बाहर तैनात बाउंसरों ने रोका तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को क्लब बंद कराने की बात कही। गांधी नगर एसीपी राजपाल गोदारा का कहना है नायला हाउस में रात भर शराब परोसने को लेकर कुछ संगठन के लोग विरोध कर रहे थे। संचालक से शराब परोसने का लाइसेंस मांगे हैं। दस्तावेज मिलने के बाद ही स्थिति क्लियर हो सकेगी। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश महावर का कहना है कि पुलिस मिलीभगत से रात भर शराब परोसी जाती है।

रात भर चलने वाले हो -हुल्लड़,बाउंसरों की गुंडा-गर्दी से स्थानीय निवासी परेशान,स्थानीय पुलिस की चुप्पी|

स्थानीय निवासियों के अनुसार इस होटल/नाइट क्लब/डिस्को थेक मे शाम से पार्टीबाजो का हुजूम लगने लग जाता है जो कि अल सुबह 4-5 बजे तक चलता रहता है,इस होटल मे नशा करने के बाद यह पियक्कड़ सड़क पर आकर तमाशा करते है जिससे स्थानीय लोगो को काफी परेशानी होती है|होटल संचालक द्वारा इन पियक्कड़ो और हुड़ंगियों से निपटने के लिए बाउंसरो की फौज खड़ी कर रखी है जो कि आए दिन इन लोगो से सरेआम मारपीट कर दहशत फैलाने का काम करती है|इतना ही नहीं एक स्थानीय निवासी द्वारा तो यहाँ तक बताया गया कि इस होटल/नाइट क्लब मे आने वाले युवा प्रतिबंधित ड्रग का भी नशा करते है और इस होटल के आस-पास गाड़ियों मे ड्रग पेडलरों से खरीद-फरोख्त करते नजर आ जाते है|इस होटल/नाइट क्लब मे आए-दिन होने वाले हुड़दंग के चलते स्थानीय पुलिस की एक गाड़ी तो निरंतर यही चक्कर लगाती रहती है और मौके का फायदा उठा कर और कानून का रौब दिखा कर,हुड़ंगियों से पैसे ऐंठ कर मौके पर ही मामले को रफा-दफा कर देती है|

राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य मे नाइट कर्फ़्यू जारी,उनके बावजूद अल सुबह कैसे चल सकता है यह नाइट क्लब?

यद्यपि वर्तमान मे राज्य मे कोरोना का कहर कम हो रहा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य मे अभी भी नाइट कर्फ़्यू जारी है और रात मे 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ़्यू लागू है|ऐसे मे सवाल उठता है कि जन अनुशासन कर्फ़्यू की पाबंदी के बावजूद इस हेरिटेज होटल का बार सुबह तक कैसे चलता है जबकि स्थानीय पुलिस रात मे कई दफा इस महत्वपूर्ण रोड मोती डूंगरी रोड पर चक्कर लगाती रहती है?

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

कमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांक: 11.10.21

आदेश

विषय : त्रिस्तरीय जन–अनुशासन दिशा–निर्देश।

कोविड–19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु संक्रमण अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में बिन्दु संख्या 16 में प्रदर्शनी/सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए **धार्मिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे** तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की **कम–से–कम 1st dose** लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के **हाट बाजारों** का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा।

3. प्रदेश की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन **रात्रि 10:00** बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।

4. पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे।

5. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे** तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

6. यह आदेश आदिनांक से प्रभावी होगा।

7. शेष सभी दिशा–निर्देश पूर्व में जारी आदेश अनुसार यथावत् रहेंगे।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

दिल्ली मे नाइट क्लब/डिस्को थेक संचालन के कड़े नियम,हमारे यहा कुछ नहीं|

वर्तमान मे हमारे प्रदेश मे नाइट क्लब/डिस्को थेक के लिए किसी विभाग से किसी प्रकार के लाइसेन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि दिल्ली,मुंबई जैसे शहरों मे स्थानीय पुलिस द्वारा नाइट क्लब/डिस्को थेक प्रयोजन हेतु लाइसेन्स जारी किए जाते है|दिल्ली पुलिस के अनुसार डिस्को थेक का लाईसेंस जारी करने के कड़े नियम है जिसके तहत एप्लिकेशन और अन्य दस्तावेजों जैसे स्टाफ की संख्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन,इटिंग हाउस लाइसेन्स,ट्रेड लाइसेन्स,आबकारी लाइसेन्स,फायर एनओसी,बिजली विभाग की एनओसी,डांस फ्लोर/ओपन स्पेस की फोटो के साथ दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट मे आवेदन करना पड़ता है|आवेदन प्राप्ति के पश्चयात पुलिस कार्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन से कानून व्यवस्था और अन्य तथ्यों के संबंध मे,ट्रेफिक पुलिस,मुख्य अग्निशामन अधिकारी,बिजली विभाग,एंटेरटेनमेंट टेक्स ऑफिसर से एनओसी प्राप्त की जाती है उनकी एनओसी के पश्चयात ही संबन्धित नाइट क्लब/डिस्को थेक को अनुज्ञा जारी की जाती है|

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है इस होटल के संचालक जो स्कूल के साथ बार संचालित कर रहे है?
2. आखिर आबकारी विभाग द्वारा किसकी अनुशंसा पर एक ही परिसर मे स्कूल के पास होटल बार का लाइसेन्स जारी कर दिया गया?
3. क्या यह वास्तव मे हेरिटेज होटल है या फिर नाइट क्लब/डिस्को थेक या कुछ और?
4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन कर्फ़्यू(रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक) के बावजूद आखिर कैसे अल सुबह तक चल रहा है यह नाइट क्लब/डिस्को थेक?
5. आज तक स्थानीय पुलिस स्टेशन मे इस हेरिटेज होटल/नाइट क्लब/डिस्को थेक के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए है?
6. आज दिनांक तक इस हेरिटेज होटल/नाइट क्लब/डिस्को थेक मे कितनी बार आबकारी/पुलिस विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है?
7. क्या होता है नाइट क्लब/डिस्को थेक?क्या एक साधारण होटल बार के लाईसेन्सी को अधिकार है कि वह आउटडोर गेस्ट को रात 11 बजे बाद शराब परोसे?
8. बिना कमरो के होटल को किस आबकारी अधिकारी ने जारी किया इस होटल बार का लाइसेन्स?
9. किसकी अनुज्ञा से और किस नियम के तहत इस क्लब का संचालक रात 11 बजे बाद शराब परोस रहा है?
10. और कितने विवाद जुड़े हुए है इस हेरिटेज होटल/नाइट क्लब/डिस्को थेक से और इनके संचालको से?

क्लब और डिस्को बार में देर रात तक शराब परोसे जाने पर रोक लगाने की मांग

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान युवा जाट महासभा ने राजधानी में कई क्लबों रूफटॉप डिस्को बार में युवक-युवतियों को देर तक शराब और सूखा नशा परोसने के साथ ही हुक्का पिलाए जाने का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग पुलिस कमिश्नर से की है। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा ने बताया कि राजधानी जयपुर में रात के 2 से 5 बजे बाद तक भी क्लबों, डिस्कोघरों में शराब सहित सूखा नशा करवाया जाता है। प्रदेश के अलग-अलग जिलो से यहां पढ़ने के लिए आने वाले नौजवान इन नशों की गिरफ्तर में तेजी से आ रहे हैं। इससे उनका भविष्य तो खराब हो ही रहा है, साथ ही उनके परिवार आर्थिक संकट के बोझ तले भी दब रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में कई रूफटॉप तो ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी तक नहीं है। कुलदीप ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने इन पर रोक नहीं लगाई तो जल्द मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया जाएगा।